न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–18/2018–19

चन्द्र किशोर महतो...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर टिप्पणी तारीख
27.07.18	अपीलार्थी चन्द्र किशोर महतो, पिता–स्व० निरंजन महतो, ग्राम–पारमडीह, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–346 R27/2016-2017/बुण्डू में दिनांक–31/12/2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
पारमडीह	बुण्डू/0007	30	305	20 डीसमील

अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–346 R27/2016-2017/बुण्डू में दिनांक–31/12/2016 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि से संबंधित खेसरा ऑनलाईन द्रष्टव्य नहीं है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि तकनीकी त्रुटि के कारण से आवेदित भूमि से संबंधित खेसरा ऑनलाईन द्रष्टव्य नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त तकनीकी त्रुटि का निराकरण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 27/07/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Sd/- 27/07/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।